

# कार्यालय उपायुक्त –सह–जिला दंडाधिकारी ,पलामू।

## निविदा

सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड रांची के पत्रांक 3488/रा0 दिनांक 24.07.15 से जिला में अवस्थित अतिथि गृह एवं परिसदन भवन के संचालन के लिए आउटसोर्सिंग हेतु निविदा आमंत्रण करने के संबंध में निदेश प्राप्त हुआ है फलस्वरूप जिला मुख्यालय अवस्थित परिसदन भवन, नूतन परिसदन भवन तथा नूतन अतिथि गृह (सदर प्रखंड परिसर) के संचालन के लिए आउटसोर्सिंग हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 15.09.2015 को अपराह्न 3.00 बजे तक जिला नजारत शाखा,पलामू में रखे बक्से में डाला जा सकेगा। निविदा दिनांक 15.09.2015 को अपराह्न 3.30 बजे उपायुक्त कार्यालय वेश्म में खोला जाएगा।

- (1) परिसदन भवन/ नूतन परिसदन भवन/नूतन अतिथि गृह की आंतरिक साफ-सफाई जिसके अन्तर्गत कमरों, प्रशाधन गृहों, रसोईघर सहित पूरे परिसर की साफ सफाई।
- (2) परिसदन भवन/नूतन परिसदन भवन /नूतन अतिथि गृह के लॉन, बगीचा में पेड़ फूल एव घास आदि की सफाई एवं रख-रखाव।
- (3) परिसदन भवन/नूतन परिसदन भवन/नूतन अतिथि गृह में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युतीय उपकरणों एव जलापूर्ति का रख-रखाव।
- (4) परिसदन भवन/नूतन परिसदन भवन/नूतन अतिथि गृह के कमरों एवं रसोई घर के फर्नीचर/उपस्कर आदि की मरम्मत एवं रख रखाव।
- (5) परिसदन भवन/नूतन परिसदन भवन/नूतन अतिथि गृह में ठहरे हुए व्यक्तियों के लिए प्रशाधन की वस्तुएं यथा तैल,साबुन, शैम्पू, तौलिया, आदि की आपूर्ति।
- (6) परिसदन भवन/नूतन परिसदन भवन/नूतन अतिथि गृह बेडसीट, मच्छरदानी, पर्दा, तकिया, तौलिया आदि की आपूर्ति सफाई एवं धुलाई।
- (7) परिसदन भवन/नूतन परिसदन भवन/नूतन अतिथि गृह में निर्वाध विद्युत की व्यवस्था जेनरेटर सहित।
- (8) परिसदन भवन/नूतन परिसदन भवन/नूतन अतिथि गृह में ठहरे हुए अतिथियों के लिए चाय, नाश्ता, भोजन एवं भोजन पकाने आदि की व्यवस्था निर्धारित दर पर करना। निविदादाता चाय,नाश्ता,भोजन आदि का दर स्वयं निविदा में प्रति प्लेट, प्रति कप के साथ मेनू सहित अंकित करेंगे जिसका समिति के द्वारा निविदादाता के समक्ष दर निर्धारण किया जाएगा तथा भोजन,चाय,नाश्ता आदि से होने वाली आय निविदादाता के पास ही रहेगी।

उपरोक्त कार्यों के निष्पादनार्थ निविदादाता को दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में तकनिकी बीड एवं वित्तीय बीड से संबंधित कागजात समर्पित करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट अक्षरों में तकनिकी बीड एवं वित्तीय बीड अंकित करना होगा।

तकनिकी बीड के अन्तर्गत निम्नांकित कागजात संलग्न करना होगा –

- (क) तकनिकी बीड में संस्था एवं व्यक्ति का वार्षिक टर्न ओभर ,अद्यतन आयकर रिटर्न ।
- (ख) कैटरींग एवं हाउस किपिंग का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र,
- (ग) वाणिज्यकर विभाग द्वारा निर्गत पंजीयन एवं अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र।
- (घ) फर्म/व्यक्ति के नाम से निर्गत आयकर रिटर्न ही मान्य होगा।
- (च) श्रम विभाग से निबंधित मजदूरों से ही उपरोक्त कार्य कराने होंगे उनका निबंधन प्रमाण पत्र रखना आवश्यक होगा।
- (छ) संस्था के प्रोरपराईटर का आचरण प्रमाण पत्र उपायुक्त द्वारा निर्गत ।
- (ज) सुरक्षित राशि के रूप में मो0 50000/- रू0 का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त पलामू के नाम से भुगतेय, जमा करना होगा।


वित्तीय बीड

- (क) उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने हेतु उपयोग के आधार पर निविदादाता को दैनिक राशि Quote करना होगा।

निविदा की शर्तें –

- I) नूतन परिसदन भवन /परिसदन भवन/नूतन अतिथि गृह में लगे सभी इलॉकट्रानिक एवं फर्नीचर साफ सफाई अच्छे ढंग से करनी होगी।
- II) अतिथितियों के प्रसाधन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उच्च गुणवत्ता की आपूर्ति करनी होगी।
- III) भोजन ,नाश्ता, चाय की आपूर्ति समय पर एवं गुणवत्ता के साथ करना होगा।
- IV) निविदा स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

यह निविदा पलामू जिला के बेबसाईट <http://www.palamu.nic.in> पर देखा जा सकता है।

  
उपायुक्त,पलामू।